

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **आलोक रंजन**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 133/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 30.12.2024
G.C.M.S. NO. :- 2024/479

गंगाराम पिता गेहरू जाति ओड निवासी काछीखेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलांत

बनाम

तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बस्सी, प्रकरण संख्या 62/2024 निर्णय दिनांक 28.08.2024

उपस्थिति:-1- श्री औंकार लाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलांत
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 21.01.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत का ग्राम सुरजपोल, पटवार हल्का मानपुरा के आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.47 है. एवं आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.49 है. में से रकबा 0.09 है. किस्म चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 28.08.2024 को अपीलांत के विरुद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर



प्र. सं. 133/2024 (रा. अ.) गंगाराम पिता गेहरु ओड निवासी काछीखेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, बस्सी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील बस्सी के पटवार हल्का मानपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सुरजपोल की चारागाह आराजी संख्या 1319 रकबा 0.47 है। एवं आराजी संख्या 1320 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित भूमि चारागाह होना मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ खातेदारी भूमि होकर बीचों-बीच उक्त आराजीयात स्थित है एवं अपीलांट उक्त आराजीयात पर तन्हा काबिज होकर बाप-दादाओं के समय से काश्त करता चला आ रहा है और हर वर्ष फसल बोता है तथा अपीलांट का परिवार इसी पर निर्भर है। अपीलांट सद्भावी काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस देकर तलब करने पर अपीलांट दिनांक 08.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जरिये अपने अधिवक्ता के मार्फत् जवाब हेतु अवसर चाहा एवं दिनांक 28.08.2024 को पत्रावली जवाब हेतु नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना जवाब पेश करने का अवसर दिए अपीलांट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर उसी दिन निर्णय पारित कर अपीलांट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आदेश की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। निर्णय की जानकारी होने पर निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.09.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट को दिनांक 01.10.2024 को नकल जारी की गई जिससे दिनांक



प्र. सं. 133/2024 (रा. अ.) गंगाराम पिता गेहरु ओड निवासी काछीखेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

28.08.2024 से दिनांक 01.10.2024 तक का समय नकल निर्णय नहीं मिलने से कण्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावे। नकल निर्णय प्राप्त दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी जो देरी हुई उसे क्षम्य किये जाने हेतु अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.08.2024 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर पत्थर डाल रखे हैं तथा तारबंदी कर रखी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तदनुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांट स्वयं दिनांक 08.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा पेशी दिनांक 08.08.2024 पर अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री औंकार लाल कुमावत ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब हेतु अवसर देते हुए पेशी दिनांक 28.08.2024 नियत की गई किन्तु पेशी दिनांक 28.08.2024 को अपीलांट तथा उनके अधिवक्ता दोनों के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए निर्णय



प्र. सं. 133/2024 (रा. अ.)
गंगाराम पिता गेहरु ओड निवासी काछीखेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

पारित किया है। अतः अपीलांट का कथन कि जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

पटवार हल्का मानपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सुरजपोल की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.47 है. एवं आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.49 हैक्टेयर किरम चारागाह भूमि है जिसमें से रकबा 0.09 हैक्टेयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर पत्थर डाल रखे हैं तथा तारबंदी कर रखी है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। अतः भूमिधारी तहसीलदार, बस्सी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।



गंगाराम पिता गेहरु ओड निवासी काछीखेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

पटवार हल्का मानपुरा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम सुरजपोल की आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.47 है. एवं आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.49 है. में से रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। यह भूमि किस्म चारागाह होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है तथा प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(आलोक रंजन)

